राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	योगेन्द्र खण्डेलवाल बनाम भवानी शंकर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी, किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस के आधार पर ही अपील का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया गया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/10/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी	
16/10/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही निर्णय दिनांक 08/03/2022 पारित करते हुये वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही होना धारित करते साक्ष्य के अभाव में ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर रेस्पो. बावजूद तामील अनुपस्थित रहे एवं अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिखित बहस के माध्यम से उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन वाद घोषणा, दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में विचारण न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई पक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूत का परिक्षण/विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रश्नाधीन वाद का निस्तारण करते किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा, दुरुस्ती के वाद को ख़ारिज करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री क़ानूनी प्रावधानों के विपरित पारित होना जाहिर होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/03/2022 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई पक्षकारान साक्ष्य सबूत का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद का निस्तारण करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	